कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// संशोधित आदेश – 3//

क्रमांक/ 2177 /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 23 मार्च 2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2168/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी दिनांक 22 मार्च, 2020 में अंषिक संशोधन करते हुए, कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं आवश्यक बचाव के उपाय किए जाने हेतु सिवनी जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मैं प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिवनी आदेशित करता हूँ कि मेडिकल दुकान, हॉस्पीटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दूध विक्रेता, बैंक को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेगें ।

राशन दुकानें एवं सब्जी की दुकानें दिनांक 26 मार्च, 2020 को खोली जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

पृ. क्रमांक/ 2177–ए /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 23 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी की ओर भेजकर लिखा जाता है कि, संलग्न आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुए आदेश/निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना सुनिष्चित करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मैनेजर, लीड बैंक, सिवनी
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर/कुरई
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला सिवनी
7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सिवनी/बरघाट/लखनादौन
8. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिवनी
9. सर्व थाना/चौकी प्रभारी, जिला सिवनी को पुलिस अधीक्षक सिवनी के माध्यम से पालनार्थ, आपके थाना क्षेत्रांतर्गत आदेश का अक्षरशः पालन हेतु।
10. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी